HAMIRPUR POLICE

जनपद पुलिस	दिनाँक-02.12.2022

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को 11 माह व 4000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 23/09/20 को थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 228/20 धारा-8/20**ndps act** में नामजद अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी कुमाऊं पुर थाना लालपुरा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 11 माह व 4000 रुपये के अर्थदंड/ की सजा सुनाई गयी।